न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

मि०नं०	तारीख दायरा	तारीख फैसला
113 / 2025	22.07.2025	17-10-25

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– संजू कवर बाइ पुत्रा अमरसिंह पत्नि भंवर सिंह उम्र 41 वर्ष जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 105 भैरू मंदिर के पास सिविल लाईन्स खण्डगांवडी खेडली फाटक कोटा राज०

(वादी)

बनाम

1– राज०सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज०

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री दिनेश कुमार वैष्णव एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1. यह की ग्राम भाण्डाहेडा तह० दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 707 रकबा 0.37 हेक्टर भूमि व खसरा नम्बर 850 रकबा 1.22 कुल किता 2 रकबा 1.59 हेक्टर खातेदार बखाता 336 राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। तथा नकल जमाबंदी संलग्न है।

2. यह वादीया का नाम उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में संजू कंवरबाई पुत्री अमरसिंह दर्ज है जो कि गलत नाम दर्ज है जबकि वादीया का वास्तविक नाम संजना कंवर है तथा वादीया को संजना कंवर के नाम से ही जाना जाता हैं ।

3 यह की बादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संजूकवरबाई दर्ज होने एंव वादीया का पहचान पत्र के दस्तावेज निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, राशनकार्ड आधारकार्ड ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र में संजना कंवर दर्ज है इस कारण वादीया का नाम संजूकंवरबाई के स्थान पर संजनाकंवर दर्ज किया जाना अति आवश्यक है।

4. यह की राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम संजूकंवरबाई दर्ज होने से एंव पहचान पत्र के दस्तावेजो यथा विधालय रिकार्ड व आधारकार्ड, बैंक खाता, राशनकार्ड में संजनाकंवर दर्ज होने से वादी को कृषि ऋण लेने कृषि पैदावार का प्रोग्राम आदी सुविधाओ का लाभ लेने में व्यवधान पैदा हो रहा है। उक्त कारण से वादीया ने प्रतिवादी के अधिकारियो व कर्मचारियो को वादीया का नाम दुरस्त करने हेतु दिनांक 15.07.2025 को मोखिक निवेदन किया तो उन्होने वादीया को नियमित वाद पेश करने की सलाह दी जिस करण से यह वाद पेशं करना आवश्यक हो गया।

5. यह की वाद कारण 15.07.2025 को वादीया द्वारा मौखिक निवेदन करने एंव वादीया का नाम दुरस्त करने से उत्पन्न हुआ ।

फोटो प्रति प्रमाणित

नायब तहसीलदार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा

INDIA दो रुपये TWO RUPEES COPYING FEES ONLY
INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING

अतः वाद प्रस्तुत कर वादीया का निवेदन है। की वादीया के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिकरी पारित की जावे।

(1) यह की ग्राम भाण्डाहेडा तह० दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 707 रकबा 0.37 हेक्टर भूमि व खसरा नम्बर 850 रकबा 1.22 कुल किता 2 रकबा 1.59 हेक्टर खातेदार बखाता 336 राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। तथा नकल जमाबंदी संलग्न है। वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में संजूकंवरबाई के स्थान पर संजनाकंवर दर्ज किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किये जाने की आज्ञा व डिकरी पारित की जाये ।

(2) यह है की वादी को आदेशित किया जाये की उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिर्पोट न्यायालय को भिजवाये।

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये हैः–

1. नकल जमाबन्दी ग्राम भाण्डाहेडा सवंत् 2075–2078 खा सं0नया 336
2. नकल आधार कार्ड तथा जनआधार कार्ड
3. नकल राशनकार्ड
4. प्रशासक ग्राम पंचायत भाण्डाहेडा द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विवित करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब सरकार शामिल मिसल किया गया। पत्रावली को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य PW1 में रघुराज सिह आत्मज अमर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जनकपुरी मोहल्ला भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

प्रकरण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में वादी का वादनी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः वादनी का नाम संजूकवरबाई के स्थान पर संजूकवरबाई उर्फ संजनाकंवर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम भाण्डाहेडा तह० दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 707 रकबा 0.37 हेक्टर भूमि व खसरा नम्बर 850 रकबा 1.22 कुल किता 2 रकबा 1.59 हेक्टर भूमि में वादनी का नाम संजूकवरबाई के स्थान पर संजूकवरबाई उर्फ संजनाकंवर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/10/20 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज०)

नायब तहसीलदार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा

FOR COPYING FEES ONLY

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– संजू कवर बाइ पुत्री अमरसिंह पत्नि भंवर सिंह उम्र 41 वर्ष जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 105 भैरू मंदिर के पास सिविल लाईन्स खण्डगांवडी खेडली फाटक कोटा राज०

(वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री दिनेश कुमार वैष्णव एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती
मिसल न0 113 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि – वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम भाण्डाहेडा तह० दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 707 रकबा 0.37 हेक्टर भूमि व खसरा नम्बर 850 रकबा 1.22 कुल किता 2 रकबा 1.59 हेक्टर भूमि में वादनी का नाम संजूकवरबाई के स्थान पर संजूकवरबाई उर्फ संजनाकंवर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक़ निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 17/10/25 को सरे इजलास जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

फोटो प्रति प्रमाणित

नायब तहसीलदार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, कोटा

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)